NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Muzaffarpur, 24.3.2025
Page No. 2, Size:(14.25)cms X (18.18)cms.

मानवाधिकार आयोग पहुंचा दो किलो लहसुन मांगने का मामला

पिता का आरोप-थाने से पुलिस गाली देकर भगा देती

भास्कर न्यूज | मुजफ्फरपुर

मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहा गांव से 5 दिसंबर 2022 को लापता अजीत कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/22 दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। युवक के पिता योगेंद्र भगत ने बताया कि उनका बेटा 5 दिसंबर की सुबह 5 बजे शहर के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पहले पानापुर ओपी को सुचना दी गई, फिर मीनापुर थाना में मामला दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। योगेंद्र भगत का आरोप है कि जब भी थाने जाते हैं, पुलिस गाली देकर भगा देती है। थाने के दारोगा ने 2 किलो लहसुन और 500 रुपए की मांग की। जब उन्होंने कहा कि घर में 50 ग्राम भी लहसुन नहीं है तो दरोगा ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। पीड़ित परिवार ने अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस मामले को सुलझाने के बजाय उलझा रही है। इस मामले में सीआईडी जांच की जरूरत है, लेकिन पुलिस इसे लहसुन और रुपए के बीच फंसा रही है। पीड़ित पिता ने इस संबंध में बीते शनिवार को डीआईजी से मिलकर शिकायत भी की थी।

HINDUSTAN, Muzaffarpur, 24.3.2025
Page No. 05, Size:(2.70)cms X (7.91)cms.

पुलिस ने मांगा दो किलो लहसुन, आयोग में शिकायत

मुजफ्फरपुर। मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहां गांव से पांच दिसंबर 2022 को लापता युवक अजीत कुमार का अबतक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। युवक की बरामदगी के लिए परिजन लगातार थाने का चक्कर लगाकर थक गए।

पिता योगेंद्र भगत ने आरोप लगाया कि जब भी थाने पर जाता हूं, तो पुलिस पदाधिकारी डांट कर भगा देते हैं। थाने के दरोगा के द्वारा कहा गया कि दो किलो लहसुन और 500 रुपए लेकर आओ, तभी मामले में कार्रवाई की जायगी। पूरे मामले को लेकर पीड़ित योगेंद्र भगत ने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PRABHAT KHABAR, Muzaffarpur, 24.3.2025

Page No. 02, Size:(31.86)cms X (9.70)cms.

पुलिस ने मांगा दो किलो लहसुन और 500 रुपये, मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग

मुजफ्फरपुर. मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहां गांव से पांच दिसंबर 2022 को लापता हुए युवक का अबतक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. मामले के संबंध में मीनापुर थाना में एफआइआर दर्ज है, लेकिन पुलिस के द्वारा अबतक मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी हैं, जिससे कि युवक की बरामदगी हो सके. कांड के सूचक योगेंद्र भगत ने बताया कि पांच दिसंबर 2022 को मेरा पुत्र अजीत कुमार घर से सुबह करीब पांच बजे शहर के लिए निकला, जो आजतक वापस नहीं आया. मामले की सूचना पानापुर ओपी को दी गयी, उसके बाद मीनापुर थाना में केस दर्ज किया गया, लेकिन आजतक मामले के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी. जब भी थाने पर जाता हूं, तो पुलिस पदाधिकारी डांट फटकार कर भगा देते हैं. थाने के दारोगा द्वारा कहा गया कि दो किलो लहसुन और 500 रुपये लेकर आओ, तभी मामले में कार्रवाई की जायेगी. तब सूचक ने कहा कि मेरे घर में 50 ग्राम भी लहसुन नहीं है, तब मैं 2 किलो लहसुन कैसे दे सकता हूं. इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल किया हैं. मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला काफी पेंचीदा है. इसको सुलझाने के बजाये पुलिस के द्वारा और उलझाने का काम किया जा रहा है. ऐसे मामले में सीआइडी जांच जरूरी है.

ANI

Indian Law Institute, NHRC organise day-long seminar for media, govt PROs on issues of human rights and challenges

https://aninews.in/news/national/general-news/indian-law-institute-nhrc-organise-day-long-seminar-for-media-govt-pros-on-issues-of-human-rights-and-challenges20250323164217/

ANI | Updated: Mar 23, 2025 16:42 IST

New Delhi [India], March 23 (ANI): The Indian Law Institute (ILI) and the National Human Rights Commission (NHRC) jointly organised a day-long training programme for media personnel and government Public Relations Officers on 'Media and Human Rights: Issues and Challenges'.

Inaugurating the training programme at ILI premises here in the national capital, Law Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Anju Rathi Rana underscored the crucial role of media for protection and promotion of human rights and the government PROs to ensure free flow of information for building public opinion on human rights related issues. Rana, the first woman to hold the post of law secretary spoke at length on the importance and significance of the UN's Universal Declaration of Human Rights (UDHR) that emphasised on the right of every individual 'to freedom of opinion and expression that includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media, regardless of frontiers'. As per a post-event statement, Rana stressed on the need for accountability and transparency in dealing with human rights issues and their violations in the age of new media.
Calling for protection of media personnel from threats and intimidation, Rana said, "As media plays a pivotal role in safeguarding and promoting human rights, there is also the strong need to protect media persons from threats, intimidation, harassment and all forms of violence. Even women journalists are at the receiving end because of online harassment they receive." Director, ILI and Senior Professor Faculty of Law, University of Delhi, VK Ahuja, in his welcome address, said the ILI has been conducting customised training courses for judicial, police, media and other stakeholders to sensitise them on human rights issues.

Later, in his address on 'Human Rights: An Overview', Prof Ahuja said human rights are inherent in the very nature of human beings and are intrinsic to their dignity. "If the right to dignity of a person is not ensured, life becomes meaningless," he added.

Prof.Ahuja said India had been a party to UDHR and International Covenants on Human Rights relating to dignity, equality, and liberty. He said the Supreme Court has interpreted certain rights as part of the fundamental right to life under Article 21, including the right to clean air, healthy environment, water, food, and a speedy trial.
Former Superintendent of Tihar Jail, Sunil Kumar Gupta, in his address on 'Role of Media

in improving prison conditions' said the media has played a key role in bringing about reforms in prisons by reporting on overcrowding and poor living conditions, lack of access to health care, education, sanitation and hygienic issues.
Speaking on his 35 years of experience working in Tihar prisons, Gupta said access of media personnel to prisons as initiated by former Inspector General of Prisons, Tihar Jail, Kiran Bedi during her tenure helped in improving living conditions of jail inmates, exposing injustices, human rights abuses, corruption, raising awareness and giving voices for prisoners and their families to share their stories and concerns in media platforms.
"If Delhi Tihar prisons have been frontrunners in reforms, it's because of the media exposing injustices, raising public awareness and influencing policy changes," said Gupta, the co-author of 'Black Warrant: Confessions of a Tihar Jailor'.
"Responsible and sustained media coverage can help bring about positive reforms and improve the lives of prisoners and their families," he added.
Senior TV journalist, Sudhanshu Ranjan, in his address on 'Role of print, television and social media in facilitating justice for victims of human rights violations' said the guiding principle for media persons must be 'unraveling the truth by presenting facts as they are'.
The eminent journalist pointed out that the phenomenon of 'fake news' has been nothing new, it has been in existence since the very inception of civilisation.
In his address on 'NHRC, Media and Human Rights', former Joint Secretary, NHRC, Devendra Kumar Nim said the media has to work in tandem with the NHRC to bring different initiatives of the human rights watchdog organisation for general awareness of the people.

At the end of the training programme, certificates were provided to the government PROs from Assam, Goa, Madhya Pradesh, faculty members from different institutions, students from law and mass communication. (ANI)

DEVDISCOURSE, Online, 24.3.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Devdiscourse

Empowering Media to Champion Human Rights: ILI and NHRC's Collaborative Training

The Indian Law Institute (ILI) and the National Human Rights Commission (NHRC) organized a pivotal training session for media and government PROs on 'Media and Human Rights: Issues and Challenges'. Luminaries underscored media's critical role in promoting human rights and addressing violations, advocating for transparency, accountability, and protection of journalists.

https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3318534-empowering-media-to-champion-human-rights-ili-and-nhrcs-collaborative-training

Devdiscourse News Desk | Updated: 23-03-2025 17:20 IST | Created: 23-03-2025 17:20 IST

The Indian Law Institute (ILI) and the National Human Rights Commission (NHRC) have joined forces to conduct a transformative training program titled 'Media and Human Rights: Issues and Challenges' for media professionals and government Public Relations Officers.

Anju Rathi Rana, Law Secretary from the Ministry of Law and Justice, inaugurated the event and highlighted the essential role media plays in protecting human rights and fostering public awareness. Rana emphasized the importance of the Universal Declaration of Human Rights, encouraging accountability and transparency in addressing human rights violations, especially amid the rise of new media.

Rana further advocated for the protection of journalists from threats and online harassment. Meanwhile, VK Ahuja, Director of ILI, asserted the institute's commitment to sensitizing various stakeholders on these critical issues. Highlighting media's impact, former Tihar Jail Superintendent Sunil Kumar Gupta credited journalistic scrutiny for significant prison reforms.

(With inputs from agencies.)

Punjab Kesari

भारतीय विधि संस्थान और NHRC द्वारा मानवाधिकारों पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित

मानवाधिकारों पर एक दिवसीय सेमिनार में विशेषज्ञों ने विचार साझा किए

https://www.punjabkesari.com/india-news/indian-law-institute-and-nhrc-organised-one-day-seminar-on-human-rights

Rahul Kumar | Published on: 23 Mar 2025, 5:04 pm

भारतीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 'मीडिया और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। विधि सचिव अंजू राठी राणा ने मीडिया की मानवाधिकार संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम में मानवाधिकारों के मुद्दों, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और जेल सुधारों पर चर्चा की गई। अंत में विभिन्न प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संयुक्त रूप से मीडिया कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए 'मीडिया और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय राजधानी में आईएलआई परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, विधि सचिव, विधि मामलों के विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, अंजू राठी राणा ने मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जनता की राय बनाने के लिए सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया। विधि सचिव का पद संभालने वाली पहली महिला राणा ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के महत्व और सार्थकता पर विस्तार से बात की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के 'राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया गया है, जिसमें हस्तक्षेप के बिना राय रखने और सीमाओं की परवाह किए बिना किसी भी मीडिया के माध्यम से सूचना और विचारों को प्राप्त करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है।

कार्यक्रम के बाद जारी बयान के अनुसार, राणा ने नए मीडिया के युग में मानवाधिकारों के मुद्दों और उनके उल्लंघन से निपटने में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। मीडिया कर्मियों को धमकियों और धमकी से बचाने का आह्वान करते हुए, राणा ने कहा, चूंकि मीडिया मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मीडिया कर्मियों को धमकियों, धमकी, उत्पीड़न और सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की भी सख्त जरूरत है। यहां तक कि महिला पत्रकार भी ऑनलाइन उत्पीड़न के कारण पीड़ित हैं। आईएलआई के निदेशक और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर वीके आहूजा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आईएलआई न्यायिक, पुलिस, मीडिया और अन्य हितधारकों को मानवाधिकार मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए उनके लिए अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। बाद में, 'मानवाधिकार: एक अवलोकन' पर अपने संबोधन में, प्रोफेसर आहूजा ने कहा कि मानवाधिकार मनुष्य के स्वभाव में निहित हैं और उनकी गरिमा के लिए अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा, "यदि किसी व्यक्ति की गरिमा का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो जीवन निरर्थक हो जाता है।"

प्रोफेसर आहूजा ने कहा कि भारत यूडीएचआर और मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं का पक्षकार रहा है, जो गरिमा, समानता और स्वतंत्रता से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में कुछ अधिकारों की व्याख्या की है, जिसमें स्वच्छ हवा, स्वस्थ वातावरण, पानी, भोजन और त्वरित सुनवाई का अधिकार शामिल है। तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने 'जेल की स्थिति सुधारने में मीडिया की भूमिका' पर अपने संबोधन में कहा कि जेलों में भीड़भाड़ और खराब रहने की स्थिति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों तक पहुंच की कमी पर रिपोर्टिंग करके मीडिया ने जेलों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तिहाड़ जेलों में काम करने के अपने 35 साल के अनुभव पर बोलते हुए गुप्ता ने कहा कि तिहाड़ जेल की पूर्व महानिरीक्षक किरण बेदी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान शुरू की गई पहल के तहत जेलों में मीडिया कर्मियों की पहुंच ने जेल के कैदियों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने, अन्याय, मानवाधिकारों के हनन, भ्रष्टाचार को उजागर करने, जागरूकता बढ़ाने और कैदियों और उनके परिवारों को मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानियां और चिंताएं साझा करने के लिए आवाज देने में मदद की। 'ब्लैक वारंट: कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर' के सह-लेखक गुप्ता ने कहा, अगर दिल्ली की तिहाड़ जेलें सुधारों में सबसे आगे रही हैं, तो इसका कारण मीडिया द्वारा अन्याय को उजागर करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नीतिगत बदलावों को प्रभावित करना है।

उन्होंने कहा, जिम्मेदार और निरंतर मीडिया कवरेज सकारात्मक सुधार लाने और कैदियों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वरिष्ठ टीवी पत्रकार सुधांशु रंजन ने 'मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को न्याय दिलाने में प्रिंट, टेलीविजन और सोशल मीडिया की भूमिका' पर अपने संबोधन में कहा कि मीडियाकर्मियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 'तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत करके सच्चाई को उजागर करना' चाहिए। प्रख्यात पत्रकार ने बताया कि 'फर्जी समाचार' की घटना कोई नई बात नहीं है, यह सभ्यता की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। एनएचआरसी के पूर्व संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार निम ने 'एनएचआरसी, मीडिया और मानवाधिकार' पर अपने संबोधन में कहा कि मीडिया को लोगों की सामान्य जागरूकता के लिए मानवाधिकार निगरानी संगठन की विभिन्न पहलों को लाने के लिए एनएचआरसी के साथ मिलकर काम करना होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में असम, गोवा, मध्य प्रदेश के सरकारी पीआरओ, विभिन्न संस्थानों के संकाय सदस्यों, कानून और जनसंचार के छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

Janta Se Rishta

भारतीय विधि संस्थान, NHRC ने मीडिया और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए आयोजन किया एक दिवसीय सेमिनार

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/indian-law-institute-nhrc-organize-one-day-seminar-for-media-and-government-public-relations-officials-3908403

Gulabi Jagat | 23 March 2025 7:27 PM

New Delhi: भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संयुक्त रूप से मीडिया कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए 'मीडिया और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

राष्ट्रीय राजधानी में आईएलआई परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग की विधि सचिव अंजू राठी राणा ने मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका और मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर जनता की राय बनाने के लिए सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी पीआरओ की भूमिका को रेखांकित किया। विधि सचिव का पद संभालने वाली पहली महिला राणा ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के महत्व और महत्व पर विस्तार से बात की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के 'राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया गया है जिसमें हस्तक्षेप के बिना राय रखने और सीमाओं की परवाह किए बिना किसी भी मीडिया के माध्यम से सूचना और विचारों को प्राप्त करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है'।

कार्यक्रम के बाद जारी बयान के अनुसार, राणा ने नए मीडिया के युग में मानवाधिकारों के मुद्दों और उनके उल्लंघन से निपटने में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

मीडिया कर्मियों को धमकियों और धमकी से बचाने का आह्वान करते हुए राणा ने कहा, "चूंकि मीडिया मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मीडिया कर्मियों को धमकियों, धमकी, उत्पीड़न और सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की भी सख्त जरूरत है। यहां तक कि महिला पत्रकार भी ऑनलाइन उत्पीड़न के कारण पीड़ित हैं।"

आईएलआई के निदेशक और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर वीके आहूजा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आईएलआई न्यायिक, पुलिस, मीडिया और अन्य हितधारकों को मानवाधिकार मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

बाद में, 'मानवाधिकार: एक अवलोकन' पर अपने संबोधन में प्रोफेसर आहूजा ने कहा कि मानवाधिकार मनुष्य के स्वभाव में निहित हैं और उनकी गरिमा के लिए अभिन्न अंग हैं।उन्होंने कहा, "यदि किसी व्यक्ति के सम्मान का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो जीवन निरर्थक हो जाता है।"प्रो. आहूजा ने कहा कि भारत यूडीएचआर और मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधियों का हिस्सा रहा है, जो गरिमा, समानता और स्वतंत्रता से संबंधित हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में कुछ अधिकारों की व्याख्या की है, जिसमें स्वच्छ हवा, स्वस्थ वातावरण, पानी, भोजन और त्वरित सुनवाई का अधिकार शामिल है।

तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने 'जेल की स्थिति सुधारने में मीडिया की भूमिका' पर अपने संबोधन में कहा कि जेलों में भीड़भाड़ और खराब रहने की स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों तक पहुंच की कमी पर रिपोर्टिंग करके मीडिया ने जेलों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

तिहाड़ जेलों में काम करने के अपने 35 साल के अनुभव पर बोलते हुए गुप्ता ने कहा कि तिहाड़ जेल की पूर्व महानिरीक्षक किरण बेदी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जेलों में मीडिया कर्मियों की पहुंच ने जेल के कैदियों की रहने की स्थिति को सुधारने, अन्याय, मानवाधिकारों के हनन, भ्रष्टाचार को उजागर करने, जागरूकता बढ़ाने और कैदियों और उनके परिवारों को मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानियां और चिंताएं साझा करने के लिए आवाज देने में मदद की।

'ब्लैक वारंट: कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर' के सह-लेखक गुप्ता ने कहा, "अगर दिल्ली की तिहाड़ जेलें सुधारों में सबसे आगे हैं, तो इसकी वजह मीडिया द्वारा अन्याय को उजागर करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नीतिगत बदलावों को प्रभावित करना है।

" उन्होंने कहा, "जिम्मेदार और निरंतर मीडिया कवरेज सकारात्मक सुधार लाने और कैदियों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।"वरिष्ठ टीवी पत्रकार सुधांशु रंजन ने 'मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को न्याय दिलाने में प्रिंट, टेलीविजन और सोशल मीडिया की भूमिका' पर अपने संबोधन में कहा कि मीडियाकर्मियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 'तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत करके सच्चाई को उजागर करना' होना चाहिए।

प्रख्यात पत्रकार ने बताया कि 'फर्जी समाचार' की घटना कोई नई बात नहीं है, यह सभ्यता की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। एनएचआरसी के पूर्व संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार निम ने ' एनएचआरसी , मीडिया और मानवाधिकार' विषय पर अपने संबोधन में कहा कि मीडिया को एनएचआरसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि लोगों में सामान्य जागरूकता के लिए मानवाधिकार निगरानी संगठन की विभिन्न पहलों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में असम, गोवा, मध्य प्रदेश के सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों, विभिन्न संस्थानों के संकाय सदस्यों, कानून और जनसंचार के छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। (एएनआई)

Sudarshan News

NHRC ने मीडिया कर्मियों और सरकारी PROs के लिए मानवाधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किया आयोजित

आईएलआई और एनएचआरसी द्वारा मानवाधिकारों और चुनौतियों पर मीडिया कर्मियों और सरकारी पीआरओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

https://www.sudarshannews.in/ILI-and-NHRC-organize-training-program-on-humanrightsformediapersonnelandgovernmentPROs-124786-newsdetails.aspx

Rashmi Singh | Mar 23 2025 6:59PM

भारतीय विधि संस्थान (ILI) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शनिवार को मीडिया कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों (PROs) के लिए "मीडिया और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम दिल्ली स्थित ILI के प्लेनेरी हॉल में हुआ।

मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की विधि सचिव डॉ. अंजू राठी राणा ने कहा कि मीडिया की मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों का कार्य सार्वजनिक राय निर्माण के लिए मानवाधिकार से जुड़ी जानकारी का सही तरीके से प्रसार करना है। राणा ने संयुक्त राष्ट्र के "यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स" (UDHR) की महत्ता पर जोर दिया, जो प्रत्येक व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है।नवीन

मीडिया और पारदर्शिता की आवश्यकता

राणा ने यह भी कहा कि आज के डिजिटल युग में मानवाधिकारों की हनन के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को धमकियों और हिंसा से बचाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, क्योंकि मीडिया का कार्य मानवाधिकारों की रक्षा करना है और उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए।

मानवाधिकारों की समझ पर आधारित सत्र

ILI के निदेशक और दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. वी.के. आहुजा ने स्वागत भाषण में बताया कि ILI ने न्यायपालिका, पुलिस, मीडिया और अन्य पक्षधारकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि वे मानवाधिकारों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों। उन्होंने मानवाधिकारों को मानव जीवन की मूलभूत जरूरत बताया और कहा कि इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे व्यक्ति की गरिमा प्रभावित होती है।

समीक्षात्मक दृष्टिकोण पर व्याख्यान

पूर्व तिहाड़ जेल अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने "मीडिया की भूमिका: जेल सुधार में योगदान" विषय पर बात की। उन्होंने बताया कि मीडिया ने जेलों में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर

भीड़-भाड़, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और स्वच्छता जैसे मुद्दों को उजागर करने में। गुप्ता ने तिहाड़ जेलों में सुधार की प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका की सराहना की और कहा कि यह मीडिया के माध्यम से ही संभव हुआ कि उन सुधारों को लागू किया गया।

वरिष्ठ टीवी पत्रकार सुधांशु रंजन ने "प्रिंट, टेलीविजन और सोशल मीडिया की भूमिका" पर व्याख्यान दिया और मीडिया कर्मियों से तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करने की अपील की। उन्होंने 'फेक न्यूज' की समस्या पर भी ध्यान आकर्षित किया और इसे सभ्यता के प्रारंभ से ही एक चुनौती बताया।

एनएचआरसी और मीडिया का सहयोग

पूर्व संयुक्त सचिव, एनएचआरसी, देवेंद्र कुमार निम ने "एनएचआरसी, मीडिया और मानवाधिकार" विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि मीडिया को एनएचआरसी के विभिन्न पहलों को जन जागरूकता के लिए प्रस्तुत करने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी द्वारा जारी की गई सलाहकारियां, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों के अधिकार, और लिंग विशेष अधिकारों को मीडिया द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया जा सकता है, जिससे सरकारी कार्यों पर दबाव डाला जा सकता है।

Amrit Vichar

कैदी की पिटाई का आरोप, मानवाधिकार आयोग से शिकायत; आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने जताया रोष

https://www.amritvichar.com/article/529311/allegations-of-beating-the-prisoner-amitabh-thakur-national-president-of#gsc.tab=0

By Nitesh Mishra | On 23 Mar 2025 17:16:14

चित्रकूट, अमृत विचार। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने चित्रकूट जेल में कथित रूप से एक कैदी की पिटाई के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी है। उन्होंने बताया कि अत्यंत विश्वस्त सूत्रों से चित्रकूट के जेल अस्पताल में मेडिकल के समय के दो वीडियो प्राप्त हुए हैं, जो कैदी माशूक अली उर्फ राजू पुत्र सादिक अली के बताए जाते हैं।

बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार, होली से दो-तीन दिन पहले माशूक अली से जेलकर्मियों मोहन तथा अन्य ने पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर उनकी बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद माशूक अली का जेल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण हुआ, जिनकी चोटें जेल अस्पताल के अभिलेखों में दर्ज बताई जाती हैं। बताया कि जानकारी के मुताबिक, माशूक अली को तीन दिन के लिए अस्पताल में दाखिल किया जाना भी बताया गया है।

अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये सभी तथ्य वरिष्ठ जेल अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हैं, पर जेलकर्मियों को बचाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इसे मानवाधिकार उल्लंघन का अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की।

Dainik Bhaskar

चित्रकूट जेल में कैदी ने वार्डन पर मारपीट का आरोप:पैसे की मांग पूरी न होने पर लाठी-डंडों से पीटा, जेल अधीक्षक ने कहा- आरोप झूठे

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/chitrakoot/news/inmate-in-chitrakoot-jail-accuses-warden-of-assault-134695055.html

जितेंद्र कुमार | चित्रकूट 6 घंटे पहले

चित्रकूट जेल में एक कैदी से कथित मारपीट का मामला सामने आया है। कैदी मासूक अली उर्फ राजू ने जेल वार्डन मोहन पर पैसों की मांग का आरोप लगाया है। कैदी के मुताबिक पैसे न देने पर वार्डन ने दो अन्य जेल कर्मियों के साथ मिलकर उसकी लाठी-डंडों से पिटाई की।

होली से दो दिन पहले की यह घटना है। पिटाई के बाद कैदी को जेल अस्पताल ले जाया गया। जेल के डॉक्टर ने कैदी के शरीर पर मौजूद चोट के निशानों का वीडियो बनाया। इस वीडियो को अधिकारियों को भेजा गया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

मासूक अली ने अपनी जान को खतरा बताया है। उसका कहना है कि जेल वार्डन कई दिनों से पैसों की मांग कर रहा था। इस मामले में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है।

चित्रकूट जेल अधीक्षक शशांक पांडे ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मारपीट और पैसा वसूली के आरोप बिल्कुल झूठे हैं। जेल अधीक्षक के अनुसार यह कैदी जेल का पुराना अपराधी है। उसे समझाने की कोशिश के दौरान काबू करने में मामूली चोटें आई हैं।

Bol Panipat

हरियाणा बना अग्रदूत. महिला बंदियों को दिला रहा गरिमा, अधिकार और पुनर्वास का हक.

https://bolpanipat.com/haryana-became-a-pioneer-giving-dignity-rights-and-rehabilitation-rights-to-women-prisoners/

By LALIT SHARMA , in SOCIAL , at March 23, 2025

जेल की दीवारें नहीं रुकावट, भविष्य की नींव रखता हरियाणा: महिला कैदियों के अधिकारों का रखवाला हरियाणा ने पेश की मिसाल: महिला बंदियों के लिए गरिमा, अधिकार और पुनर्वास सुनिश्चित

BOL PANIPAT : गया, बिहार/चंडीगढ़, 23 मार्च 2025 – बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) द्वारा गया, बिहार में "राष्ट्रीय सम्मेलन" का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में देशभर से आए प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों ने सार्वजनिक प्रशासन, न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया।

सम्मेलन के अंतर्गत एक तकनीकी सह ब्रेकआउट सत्र का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय था "महिला बंदियों के अधिकार"। इस सत्र में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय जेलों में महिला कैदियों से जुड़े कानूनी और मानवीय पहलुओं को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया।

अपने प्रस्तुतीकरण में न्यायमूर्ति बत्रा ने बताया कि हरियाणा राज्य महिला बंदियों के अधिकार, गरिमा और पुनर्वास सुनिश्चित करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप, हरियाणा ने जेलों को केवल बंदीगृह नहीं, बल्कि आशा और अवसर के केंद्र में बदलने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। महिला कैदियों के अधिकार, जो कि 1894 के प्रिज़नर्स एक्ट और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निहित हैं, हरियाणा की जेलों में सक्रिय रूप से लागू किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:

1. महिला कैदियों के लिए पृथक और सुरक्षित आवास व्यवस्था
2. बच्चों के साथ रहने वाली महिला बंदियों के लिए क्रेच सुविधा
3. स्वास्थ्य केंद्र और सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता
4. शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच – जैसे IT। कोर्स और सिलाई प्रशिक्षण
5. विधिक सहायता और परिवार से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वीडियो कॉलिंग जैसी संचार सुविधाएं
6. इसके अलावा, राज्य सरकार ने भीड़भाड़ कम करने, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी सौम्य और मानवीय जीवन-परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

इस सत्र की अध्यक्षता पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने की। सह-अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. विदुत रंजन सारंगी और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज उपस्थित रहे।

डॉ. पुनीत अरोड़ा, प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी दी कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग के दोनों माननीय सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया भी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित थे।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य कुलदीप जैन ने कहा कि ये सभी प्रयास संविधान और मानवाधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ, न्याय, गरिमा और समाज में महिला बंदियों के पुनर्वास की दिशा में हरियाणा के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

वहीं, आयोग के एक अन्य माननीय सदस्य दीप भाटिया ने कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन महिला बंदियों के अधिकारों और पुनर्वास पर विमर्श, जागरूकता और नीतिगत निर्माण का एक प्रभावशाली मंच साबित हुआ, और यह आपराधिक न्याय प्रणाली में अधिक मानवीय और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

Navbharat Times

'पुलिस 2 किलो लहसुन और 500 रुपये मांग रही हुजूर', 2022 से लापता युवक को ढूंढने के लिए अनोखी डिमांड, जानें

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/muzaffarpur/police-is-asking-for-2-kg-garlic-and-500-rupees-to-find-missing-youth-in-muzaffarpur/articleshow/119386485.cms

Edited byआशुतोष कुमार पांडेय | Reported by संदीप कुमार | Lipi23 Mar 2025, 11:08 pm

Muzaffarpur News Today: बिहार पुलिस के कुछ कर्मी ये कसम खा चुके हैं कि वे किसी हाल में नहीं सुधरेंगे। बिहार में एक तरफ क्राइम के ग्राफ में इजाफा हो रहा है, वहीं कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मी पूरे महकमे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। स्थिति ये है कि गरीबों से भी पैसे की मांग की जाती है। मुजफ्फरपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। अब ये मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है।

हाइलाइट्स

मुजफ्फरपुर में पुलिस की पिता से डिमांड

लापता को खोजने के लिए मांगा लहसुन

500 रुपये के साथ दो किलो लहसुन की मांग

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बुजुर्ग दंपति ने स्थानीय पुलिस पर अजीबो- गरीब आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद पूरे जिले में आरोपी दारोगा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दारोगा ने रिश्वत भी मांगी है, वो भी ऐसी चीज की जो चंद रुपये में बाजार में मिलती है। रकम इतनी कम डिमांड की है कि सुनने वाले हैरान हैं। पूरा मामला क्या है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मानवाधिकार आयोग पहुंचे इस मामला की चर्चा शुरू है। आरोप मीनापुर थाना के दारोगा पर लगा है। बुजुर्ग ने दारोगा पर लहसुन मांगने का आरोप लगाया है।

'दो किलो लहसुन दो'

मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहां गांव में 05 दिसंबर, 2022 को एक युवक लापता हो गया। उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस संबंध में थाने में कांड संख्या 625/22 नंबर से प्राथमिकी दर्ज हुई। लापता युवक के पिता योगेंद्र भगत का कहना है कि मेरा इकलौता बेटा अजीत कुमार घर से सुबह शहर के लिए निकला। आज तक वापस नहीं आया। उसके बाद मैंने इसकी सूचना पानापुर ओपी को दी।

दारोगा की डिमांड

उन्होंने बताया कि बाद में मीनापुर थाना में कांड संख्या - 625/22 दर्ज किया गया। लेकिन आजतक मामले के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी थाने पर जाता हूं, तो पुलिस पदाधिकारी गाली देकर डांट-फटकार कर वहां से भगा देते हैं। थाने के दरोगा ने कहा है कि 2 किलो लहसुन और 500 रुपए लेकर आओ, तभी मामले में कार्रवाई की जायगी। उन्होंने बताया कि मेरे घर में 50 ग्राम भी लहसुन नहीं है, अब मैं 2

किलो लहसुन कैसे दे सकता हूं। 2 किलो लहसुन और 500 रुपये नहीं देने पर दरोगा ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

मानवाधिकार में मामला

इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार मामलों के जानकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल किया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला काफी पेचीदा है। इसको सुलझाने के बजाय पुलिस के द्वारा और उलझाने का काम किया जा रहा है। मामले में पुलिस को उच्चस्तरीय जांच करनी चाहिए, लेकिन पुलिस इसे लहसुन और रुपये के बीच उलझा रही है और मामले को रफा-दफा करने में लगी है।

पुलिस के खिलाफ गुस्सा

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस का ये रवैया शर्मसार करने वाला है। दारोगा को बिहार सरकार की ओर से काफी हैंडसम सैलरी मिलती है। पुलिस वालों को समय पर वेतन मिलता है। सारी सुविधाएं मिलती है। उनकी बहाली जनता की सेवा करने और क्राइम रोकने के लिए होती है। वैसे में पुलिस की ओर से लहसुन मांगना और एक गरीब परिवार को प्रताड़ित करना काफी आहत करने वाला है। ध्यान रहे कि मामला अब मानवाधिकार आयोग के पास गया है। बुजुर्ग दंपति को अपने बेटे के खोजे जाने का इंतजार है।

Tirhut Now

पुलिस ने माँगा 2 किलो लहसुन और 500 रुपये, मामला पहुँचा मानवाधिकार आयोग!

https://tirhutnow.com/police-demanded-2-kg-garlic-and-500-rupees-the-matter-reached-the-human-rights-commission/

Posted by tirhutnow March 23, 2025

मुजफ्फरपुर :- जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहाँ गाँव से 05 दिसंबर 2022 को लापता हुए युवक का अबतक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले के संबंध में मीनापुर थाना में कांड संख्या – 625/22 दर्ज है, लेकिन पुलिस के द्वारा अबतक मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं, जिससे कि युवक की बरामदगी हो सके।

कांड के सूचक योगेंद्र भगत ने बताया कि 05 दिसंबर 2022 को मेरा एकलौता पुत्र अजीत कुमार घर से सुबह करीब 5 बजे शहर के लिए निकला, जो आजतक वापस नहीं आया। मामले की सूचना पानापुर ओपी को दिया, उसके बाद मीनापुर थाना में कांड संख्या – 625/22 दर्ज किया गया। लेकिन आजतक मामले के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी थाने पर जाता हूँ, तो पुलिस पदाधिकारी गाली देकर व डांट फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं। थाने के दरोगा के द्वारा कहा गया कि 2 किलो लहसुन और 500 रुपए लेकर आओ, तभी मामले में कार्रवाई की जायगी। तब सूचक ने कहा कि मेरे घर में 50 ग्राम भी लहसुन नहीं है, तब मैं 2 किलो लहसुन कैसे दे सकता हूँ। 2 किलो लहसुन और 500 रुपये नहीं देने पर दरोगा ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार मामलों के जानकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल किया हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह पूरा मामला काफी पेंचीदा है। इसको सुलझाने के बजाय पुलिस के द्वारा और उलझाने का काम किया जा रहा है। मामले में पुलिस को उच्चस्तरीय जाँच करनी चाहिए, लेकिन पुलिस इसे लहसुन और रुपये के बीच उलझा रही है और मामले को रफा-दफा करने में लगी हैं। ऐसे मामले में सीआईडी जाँच की नितांत आवश्यकता हैं।

22scope.com

Dhanbad : झारखंड आंदोलनकारी के बेटे ने दी चेतावनी, 24 मार्च तक नौकरी नहीं तो कर लेंगे...

https://22scope.com/dhanbad-jharkhand-agitators-son-warns-will-not-do-a-job-by-march-24/

By Niraj Toppo | 23-03-2025

Dhanbad : सुदामडीह थाना बस्ती निवासी झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत बंशी रवानी की पत्नी बादुली देवी राज्य सरकार के रवैए से काफी निराश हैं। उन्होंने 25 मार्च 2025 को झारखंड विधानसभा गेट के सामने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा है।

पत्र में लिखा है कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प (संख्या: 1938, दिनांक 20 अप्रैल 2021) के आलोक में अपने बेटे गौतम रवानी के नियोजन के लिए सरकार और प्रशासन को बार-बार पत्र लिखकर थक चुकी हैं। इसलिए पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगी।

Dhanbad : राज्यपाल, सीएम सहित कई अधिकारियों को लिखा पत्र

इनकी जानकारी उन्होंने पत्र से राज्यपाल, सीएम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, धनबाद जिला प्रशासन को भी दी है। बादुली देवी के बेटा गौतम रवानी ने कहा कि नियोजन के लिए 1 जनवरी 2020 से आंदोलनरत हैं। 20 सितंबर 2024 को विधानसभा गेट के पास आमरण अनशन की सूचना दी थी। तब झरिया सीओ के यहां 30 नवंबर 2024 को बैठक हुई थी, पर वह बेनतीजा रही थी।

प्रशासन के कहने पर 4 साल पहले ही सभी जरूरी कागजात जमा करा दिए थे, पर सीएम सचिवालय और जिला प्रशासन की ओर से ठोस नहीं पहल हुई। 24 मार्च तक न्याय नहीं हुआ, अगले दिन पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगी। इसकी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की होगी।

मनोज शर्मा की रिपोर्ट–

HINDU, Online, 24.3.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Hindu

Sub-inspector suspended over alleged inaction in domestic violence case

https://www.thehindu.com/news/national/kerala/sub-inspector-suspended-over-alleged-inaction-in-domestic-violence-case/article69364808.ece

Published - March 23, 2025 08:04 pm IST - KOZHIKODE

The Hindu Bureau

A sub-inspector attached to the Thamarassery police station has been placed under suspension following a departmental inquiry into his alleged negligence in investigating a domestic violence complaint. The action was taken against K.K. Noushad, who also served as the Public Relations Officer of the station, based on an order issued by District Police Chief (Kozhikode Rural) K.E. Baiju on Saturday (March 22).

The victim, 26-year-old Shibila Parakkandy, was reportedly hacked to death by her husband, Yasir, a suspected drug addict, at her residence on March 18. Her parents, Abdurrahman and Haseena, also sustained injuries in the attack.

According to sources, Shibila had approached the police on February 28 with a domestic violence complaint and had been awaiting police action. A departmental investigation launched following a complaint from her family members found the officer responsible for delays in initiating proper procedures. The key allegation was that timely police intervention could have potentially prevented the murder.

A close relative of the victim alleged that the officer repeatedly turned down his requests for a thorough probe into Shibila's complaint. "She went to the police after enduring repeated physical abuse by her husband. The police were also aware of Yasir's serious drug addiction," he claimed.

In addition to departmental action, the Kerala State Human Rights Commission has registered a suo motu case as part of its ongoing inquiry into the incident. The Commission has asked District Police Chief K.E. Baiju to submit a preliminary investigation report within 15 days. The case will be considered in the Commission's upcoming adalat in Kozhikode.

Saamana Hindi

न्याय व्यवस्था को आग!

https://www.hindisaamana.com/fire-the-justice-system/

March 24, 2025

मोदी जी ने घोषणा की थी कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लेकिन वास्तव में मोदी से लेकर न्यायाधीशों तक सभी देश को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। आम आदमी को या तो न्याय खरीदना पड़ता है या फिर 'तारीख पर तारीख' के चक्रव्यूह में फंसकर मरना पड़ता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर में अचानक आग लग गई और न्याय व्यवस्था का भंडा फूट गया। जज साहब घर से कहीं दूर गए हुए थे और उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग गई। मामला जज साहब के घर का था इसलिए फायरब्रिगेड तुरंत पहुंची। जब फायर फाइटर्स एक खास कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं? वह पूरा कमरा नोटों के बंडलों से भरा हुआ था। उस एक ही कमरे में १५ करोड़ रुपए नकद थे। यह खबर हवा की तरह पूरे देश में फैल गई और देश की न्याय व्यवस्था की इज्जत थू-थू हो गई। न्यायमूर्ति वर्मा के घर में ये करोड़ों रुपए कहां से आए? न्यायाधीश अपने बंगले के आंगन में पैसे की खेती करते थे क्या? यह जनता को जानना चाहिए। देश की न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार से बुरी तरह प्रभावित है और पिछले दस सालों में यह गंदगी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा इसी गंदगी में खिला हुआ एक कमल हैं। अरुण जेटली ने एक बार खुलकर कहा था कि न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद मिलनेवाले लाभों और पदों पर नजर रखकर फैसले करते हैं, जबकि कई न्यायाधीश अधिक व्यावहारिक होकर पद पर रहते हुए ही भविष्य की तैयारी कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में न्यायिक फैसले पैसे और सत्ता के दबाव में हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 'कोटा' से जिला न्यायाधीशों से लेकर हाई कोर्ट तक न्यायाधीशों की नियुक्तियां हो रही हैं। सरकारी वकीलों की नियुक्तियां भी इसी तरह से हो रही हैं। मतलब न्याय देने की प्रक्रिया नैतिक और पवित्र नहीं रह गई है, यह साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कई फैसले गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से दिए। न्यायमूर्ति मिश्रा के फैसलों से अडानी को ५० हजार करोड़ रुपए का फायदा हुआ और मिश्रा को सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद मिला। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी राज्य के राज्यपाल पद की उम्मीद रखकर सरकार के पक्ष में झुक जाते हैं और न्याय की देवी का अपमान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर विराजमान चंद्रचूड़ ने क्या किया? उन्होंने न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी और महाराष्ट्र के मामले में कोई पैâसला दिए बिना ऐसी भूमिका अपनाई कि भाजपा सहित दलबदल कानून तोड़कर सरकार बनानेवालों को मदद मिले। महाराष्ट्र में संविधान का उल्लंघन करके सामूहिक दलबदल हुआ। इन लोगों ने एक अवैध सरकार बनाई और तीन साल तक चलाया, यह न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जैसे लोगों की चुप्पी और समर्थन के कारण ही संभव हुआ। जो लोग असंवैधानिक कार्यों का समर्थन करते हैं, उनसे न्याय की क्या उम्मीद की जाए? सभी एक जैसे हैं, चाहे वह वर्मा हों या चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के वकील बेटे ने इसी दौरान लंदन में ३०० करोड़ रुपए का 'विला' खरीदा, यह खबर जोरों से पैफैली। असली या नकली यह न्याय की देवी या रामशास्त्री बाणे जैसे न्यायाधीश ही जानें। यह हमारी न्याय व्यवस्था की स्थिति है। अब न्यायालयों में न्याय नहीं मिलता, बल्कि सौदेबाजी होती है, यह कई न्यायाधीशों ने सेवानिवृत्ति के बाद खुलकर कहा है। राम मंदिर का फैसला देने पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद राज्यसभा में नामित किया गया। यह सरकार की बेशर्मी है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश वेंकट रमय्या ने १९८९ में

अपनी सेवानिवृत्ति के समय कहा था कि देश के हर उच्च न्यायालय में कम से कम पांच से छह न्यायाधीश ऐसे होते थे, जो रोज शाम को किसी बड़े वकील के साथ या विदेशी दूतावास में खाना खाने व शराब पीने जाते थे। ऐसे न्यायाधीशों की कुल संख्या ९० के आसपास थी और देश के २५ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रिश्तेदारों और मित्र परिवार की आर्थिक स्थिति तेजी से बढ़ते दिख रही थी। वेंकट रमय्या के बयान को ३५ साल हो चुके हैं। न्यायालयों में राजनीतिक और धार्मिक रंग की दीवारें खड़ी हो गई हैं। जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर फैसले किए जाते हैं। देश के न्यायाधीश खुलेआम धार्मिक सम्मेलनों और मंचों पर जाकर भाषण देते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। न्यायाधीश मस्जिदों की खुदाई करके मंदिरों की तलाश करने की अनुमति देते हैं और इससे होनेवाले दंगों की जिम्मेदारी नहीं लेते। कोई जज कहता है कि किसी महिला के शरीर पर जबरदस्ती हाथ लगाना या उसके कपड़े का 'नाड़ा' खोलना बलात्कार नहीं है और ऐसे न्यायाधीश आज भी अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार है ही, अब सिफारिश और राजनीति भी घुस गई है। लाखों मामले लंबित हैं। आम आदमी को न्याय मिलने के दरवाजे बंद हो गए हैं। 'न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा' हर न्यायालय में मौजूद हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण का कवच कुंडल प्राप्त है। हिंदुस्थानी न्याय व्यवस्था को विरासत में एक महान परंपरा मिली थी। उस परंपरा का पतन हो गया है। नैतिक पतन हमारे देश तेजी से हो रहा है। राजनीतिज्ञों ने अगर जनता का विश्वास खो दिया तो अगले चुनाव में जनता उन्हें बदल सकती है, लेकिन न्यायाधीशों पर से विश्वास उठ जाए तो भी उसे सहना ही पड़ता है। इंग्लैंड के पूर्व न्याय मंत्री लॉर्ड हेलशॉम के शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार, बेईमानी और धोखाधड़ी जैसे गैरप्रकार को न्यायालयों में जितनी छूट मिलती है, उतनी कहीं और नहीं मिलती। न्यायमूर्ति वर्मा मामले में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जब किसी राजनीतिज्ञ का मामला इन्हीं न्यायाधीशों के सामने आता है तो यही न्यायमंडल राजनीतिज्ञों पर जरूरत से ज्यादा तीखे व्यंग्य कसते हैं। लेकिन जब खुद पर आया कि सब कितना शांत और ठंडा हो गए और फिर बाद में यही लोग प्रवचन देने के लिए मुक्त हो जाते हैं। देश की न्याय व्यवस्था दूषित हो चुकी है। देश का पर्यावरण बिगड़ चुका है।